पत्रांक–10 / स्थापना व्यय आ0–25 / 2024–25 99/अ. रा0,

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
पलामू, लातेहार एवं सरायकेला–खरसावाँ।

राँची, दिनांक– 25-11-2024

विषयः– **स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष–2053–जिला प्रशासन, लघुशीर्ष–093–जिला स्थापनाएँ, उपशीर्ष–01–जिला प्रशासन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में व्यय हेतु कुल ₹1,02,18,000/– (एक करोड़ दो लाख अठारह हजार रूपये) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–501/स्था0, दिनांक–17.10.2024, उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक–493/स्था0, दिनांक–26.10.2024 एवं पत्रांक–182/नजा0, दिनांक–26.10.2024, तथा उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ के पत्रांक–528/स्था0, दिनांक–23.10.2024 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में इकाईवार कुल ₹1,02,18,000/– (एक करोड़ दो लाख अठारह हजार रूपये) मात्र की राशि निम्न प्रकार आवंटित की जाती है :–

क्र0	इकाई / जिला	वेतन	कार्यालय व्यय	वर्दी	मोटरगाड़ी, ईंधन एवं मरम्मति	कुल
1	पलामू (PLMDAD 016)	0	1500000	0	2000000	3500000
2	लातेहार (LTRDAD 016)	0	3500000	45000	1500000	5045000
3	सरायकेला–खरसावाँ (SKLDAD 023)	1673000	0	0	0	1673000
		1673000	**5000000**	**45000**	**3500000**	**10218000**

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिला के संबंधित डी0डी0ओ0 कोड में दिया गया है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 322/वि., दिनांक–28.01.2002, 1800/वि., दिनांक–15.07.2003 एवं 257/बजट, दिनांक–21.03.2024 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।

PTO

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन एवं 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।

6. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या–40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

8. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।

9. अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–31.03.2025 तक अवश्य कर दिया जाय।

10. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

19/XI

(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 99/आ०. राँची, दिनांक– 25-11-2024

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/XI/XXIV

सरकार के सचिव।

d/all section/sec 10/allotment (lalit)